न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 18/2008

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
कोलीया पुत्र सवाजी,जाति चौधरी,निवासी सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर		1.लिखमा पुत्र डायाजी, 2.मांगीलाल पुत्र डायाजी, 3.वेलाराम पुत्र डायाजी 4.श्रीमति पूरी बेवा डायाजी, जातियान् चौधरी,निवासीगण सरदारगढ, तहसील व जिला जालोर 5.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार जालोर दिनांक 10.1.2002
(नामान्तरकरण सं.78)

उपस्थिति :–
1.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित,अभिभाषक,अपीलांट की ओर से।
2.श्री सुरेन्द्रकुमार दवे, अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.5 की ओर से।

निर्णय — दिनांक 31.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में अपीलांट कोलीया का 3/4 हिस्सा यानि 4.47 हेक्टर हक बनता है एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा यानि 1.49 हेक्टर हक बनता है, नायब तहसीलदार जालोर द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प सामतीपुरा में दिनांक 7.1.2002को अपीलांट को 1.50 हेक्टर कम भूमि दी गई है जिसके विरूद्ध एक अपील सं. 41/07 कोलीया बनाम लखमा वगैराह ,निर्णय दिनांक 8.2.2008 को अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार जालोर द्वारा पारित बंटवाडा दिनांक 7.1. 2002 को निरस्त कर दिया गया है, अपीलाधीन म्युटेशन सं. 78 जो बंटवाडा आदेश दिनांक 7.1.2002 की पालना में भरा गया है, के विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश की है। अपीलांट को नोटिस दिये बिना अपीलाधीन म्युटेशन

स्वीकृत किया गया है,बंटवाडा आदेश गलत होने से उसे अपील के जरिये निरस्त किया जा चुका है,इस आधार पर अपीलाधीन म्युटेशन निरस्त किये जउने योग्य है। अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत होने की जानकारी दिनांक 5.3.2008 को जब अपील सं. 41/07 का निर्णय होने के बाद जानकारी प्राप्त करने के दौरान् ध्यान में आया, जिस पर नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र पेश किया,नकल दिनांक 19.3.2008 को मिली, इस प्रकार जानकारी की तिथि से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन सं.78 दिनांक 10.1.2002 को निरस्त किया जावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 78 दिनांक 10.1.2002की प्रति आदि नकले पेश की,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि उन्हें नायब तहसीलदार जालोर द्वारा आदेश दिनांक 10.1.2002(म्युटेशन सं.78) की जानकारी दिनांक 5.3.2008 को हुई, जब अपील सं. 41/07 के निर्णय की जानकारी प्राप्त होने के दौरान् हुई जिस पर म्युटेशन की नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 19.3.2008 को मिली। जानकारी की तिथि से अपील एक माह में पेश की गई है, अपीलांट के धारा 5भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्टगण ने कोई जवाब पेश नही किया गया हैं। अपील में देरी से प्रस्तुत अपील का युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत किया गया है।अतः अपीलांट का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है व अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में से अपीलांट–कोलीया का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा हक खातेदारी में में दर्ज थी जिसमें अपीलांट को 3/4 हिस्से में उसे 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो कम दी गई हैं,रेस्पोडेन्ट्स को 1/4 हिस्से के अनुसार उसे 2.98 हेक्टर भूमि दी गई है जो अधिक भूमि दी गई है ,नायब तहसीलदार जालोर द्वारा भी बंटवाडा के अनुसार मौजा सरदारगढ का नामान्तरकरण सं. 78

दिनांक 10.1.2002 को स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर नायब तहसीलदार जालोर का आदेश दिनांक 10.1.2002 (ना.क. सं.78) को निरस्त करावे। इसके आपसी सहमति बंटवाडा के आधार पर म्युटेशन सं.78 भरा जाकर नायब तहसीलदार जालोर द्वारा दि.10.1.2002 को स्वीकृत किया गया हैं जो सही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। मौजा सरदारगढ के हाल खसरा नम्बर 666 रकबा 3.15 हेक्टर, खसरा नम्बर 667 रकबा 2.80 हेक्टर,कुल रकबा 5.95 हेक्टर में से अपीलांट कोलीया का 3/4 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1से 4 के नाम 1/4हिस्सा हक खातेदारी में दर्ज था, आपसी संहमति से बंटवाडे में अपीलांट के 3/4 हिस्से में 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो कम दी गई है, रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 4 को 1/4 हिस्से में से 2.97 हेक्टर भूमि दी गई है जो अधिक दी गई है,उक्त बंटवाडा अनुसार नायब तहसीलदार जालोर द्वारा म्युटेशन सं.78दिनांक 10.1.2002 को स्वीकृत किया गया है। चूंकि आपसी सहमति से किये गये बंटवाडा के विरूद्ध अपील सं. 41/2007 में बंटवाडा आदेश निरस्त किया जा चुका है जिससे म्युटेशन सं.78 दिनांक10.1.2002को निरस्त किया जाना भी उचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

आदेश

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 10.1.2002 (ना.क.सं.78) निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.7.2019 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:27:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: